



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/09/47/2018/एफ0सी0/94

दिनांक : 09/5/18

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Other/27358/2017)

विषय: सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा 8"/6" व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे० संरक्षित वनभूमि एवं सामाजिक वानिकी सहारनपुर में 6.207 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अपयोजन प्रस्ताव)

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक- पी-831/14-2-2018-800(72)/2018, दिनांक- 19.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- The details of the alternative alignments has not been provided.
2. The .kml file of proposed land to be diverted as well as CA land are in polyline format. For GIS DSS analysis, it should be in polygon format.
3. The original SOI Toposheet has not been submitted.
4. The .kml file of CA land has not been submitted in CD.
5. The land proposed for diversion under social forestry division Saharanpur is described as prone to erosion in Part B. But no protective measures have been suggested.

भवदीय

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर, उ० प्र०।
3. श्री विजय दुग्गल, मुख्य महाप्रबन्धक, बी०पी०सी०एल०, 200 प्रथम पैरामाउण्ट टूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

emul

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 4033 /सहारनपुर(समेकित)/27358/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 14, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराकर निर्धारित प्रारूप में तीन प्रति में इस कार्यालय को शीघ्रप्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० सहारनपुर एवं शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित, अपने प्रभाग से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना/अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर मूल प्रतियाँ अपने वन संरक्षक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री विजय दुग्गल, मुख्य महाप्रबन्धक, बी०पी०सी०एल०, 200 प्रथम पैरामाउण्ट टूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रशांत कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ० प्र०, लखनऊ।